राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1246/2024

सुरेन्द्र सिंह हाडा (कर्मचारी आई.डी.:–आरजेकेओ198627001601)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर।
3. Deputy Conservator of forest and Filed Director, R.V.T.R. Bundi.

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अतुल कुमार जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वन पाल के पद पर रेंज इन्द्रगढ, उप वन संरक्षक, आरवीटीआर, बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप वन संरक्षक, आटीआर प्रथम, सवाईमाधोपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक संभाग से दूसरे संभाग में किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसे स्थानान्तरण आदेश से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त होगा। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष तीन माह शेष रहे है। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकट होता है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता राज्य स्तर पर संधारित की जाती है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से अधिक समय शेष है। ऐसे में हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण में इस आधार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में अल्प समय रहा हो और ऐसे कार्मिकों का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। नियोक्ता को

अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना रही हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)